न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 24 / 2023	2023 / 51	30.10.2023	25.09.2024

1– असबीर पुत्र खूबराम जाति अहीर निवासी ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1– नायब तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास किस्म 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा संख्या 64 / 2021 निर्णय दिनाक 15.02.2021

उपस्थित–

01. श्री संजय यादव –वकील अपीलान्ट

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर किस्म 91 एल. आर. एक्ट मुकदमा संख्या 64 / 2021 निर्णय दिनांक 15.02.2021 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 कमशः 183, 185, 186, 184 रकबा कमशः 0.44, 0.19, 0.24, 0.16 है0 किस्म कमशः चारागाह, बंजड में से रकबा कमशः 0.59, 0.16 है0 में सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिकमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व मौके से बेदखली / पैलन्टी / तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया है, कि ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास की सरकारी गैरमुमकिन चारागाह / बंजड आराजी खसरा न0 कमशः 183, 185, 186, 184 रकबा कमशः 0.44, 0.19, 0.24, 0.16 है0 में से किस्म कमशः चारागाह, बंजड में से रकबा कमशः 0.59, 0.16 है0 है0 पर मिन अपीलान्ट का कोई अतिकमण नही किया गया है। उक्त आराजी मिन अपीलान्ट की अभिलिखित कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी से लगती हुई है। पटवारी हल्का द्वारा मौके के खिलाफ बिना कोई पैमाईश किये अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किये अपीलान्ट के विरूद्व नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी नही है, और न ही पूर्व में अतिकमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। तहत अदालत द्वारा मात्र पटवारी

अति0 जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा

के तहत न्यायालय ...

2– यहकि अपील हाजा पर नियमानुसार कोर्टफीस 2 रूपया तथा तलबाना सशुल्क नियमानुसार चस्पा है।

हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रमाणित प्रति पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये तीन माह का सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से जाहीर है, कि पटवारी हल्का नयागांव तहसील किशनगढास द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सम्वत 2077 की आराजी खसरा न0 क्रमशः 183, 185, 186, 184 रकबा क्रमशः 0.44, 0.19, 0.24, 0.16 है0 में से रकबा क्रमशः 0.59, 0.16 है0 है0 किस्त चारागाह/बंजड की भूमि पर सरसो की फसल काश्त कर पश्चातर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी असवीर के विरूद्व पेश की गयी। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया गया पत्रावली दिनाक 12.02.2021 को नियत की गयी। अतिक्रमी बावजुद नोटिस तामील के नियत तिथी को अनुपस्थित रहा। प्रकरण में पुनः अतिक्रमी को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनाक 15.02.2021 को नियत की गयी। नियत तिथी को भी अतिक्रमी अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली में विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर निर्णय पारित किया गया है।

वक्त बहस वकील अपीलान्ट के अनुरोध किये जाने पर प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मौका रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है, कि आराजी खसरा न0 183 रकबा 0.44 है0, 185 रकबा 0.19, 186 रकबा 0.24, किस्म चारागाह आराजी खसरा न0 184 रकबा 0.16 किस्म बंजड ग्राम बसई बीरथल तहसील किशनगढबास वर्तमान में अतिक्रमी का अतिक्रमण नही है। अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट का कहना है, कि आराजी की पैमाईश करली जावे। 91 एल. आर. एक्ट के तहत सरकारी आराजी की पैमाईस किये जाने का कोई प्रावधान नही है, बल्कि अपीलान्ट को चाहिये था, कि वो अपनी आराजी की पैमाईश कराये किन्तु अपीलान्ट ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नही किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 183 रकबा 0.44 है0, 185 रकबा 0.19, 186 रकबा 0.24, किस्म चारागाह आराजी खसरा न0 184 रकबा 0.16 किस्म बंजड है, जो धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमियो की श्रेणी में आती है, ऐसी भूमियो पर किसी को भी अतिक्रमण /आंवटन/नियमन किये जाने का कोई अधिकार नही है। अदालत द्वारा प्रकरण में अतिक्रमी के विरूद्व विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर निर्णय पारित कर बैदखली की कार्यवाही तथा अतिक्रमण पश्चातवर्ती साबित होने के कारण अतिक्रमी को तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.2021 न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है। उनवानी प्रकरण में जारी स्थगन आदेश दिनाक 19.02.2021 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/9/24

(शिवप्रसाद जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अति० जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

न्यायालय अति० जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज०)
सत्यमेव जयते